भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 754

08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

मंत्रालय को बजटीय आवंटन

754. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख योजनाओं के लिए निर्धारित निधि पर विशेष बल के साथ मंत्रालय के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) बजट के कितना हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सुविधा, उद्योग 4.0 से संबंधित पहलों और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के संवर्धन के उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है;

(ग) विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए बजट का किस प्रकार उपयोग किया गया है; और

(घ) निर्धारित निधियों के माध्यम से व्यय का समग्र ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : वर्ष 2023-24 के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को बजट आबंटन का सार अनुलग्नक में है।

(ख) : भारी उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण, चरण-II (फ़ेम इंडिया चरण-II) स्कीम तैयार की जिसकी कुल बजटीय सहायता 10,000 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस स्कीम के तहत 5171.97 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

भारी उद्योग मंत्रालय उद्योग 4.0 के अंगीकरण को सुगम बनाने और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण और साझा सेवा अवसंरचना/परीक्षण सुविधाओं के सृजन/संवर्धन के लिए भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम, चरण-2 स्कीम को भी कार्यान्वित कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस स्कीम के तहत 250 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) : फ़ेम इंडिया, चरण-II स्कीम सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम, चरण-2 प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण और साझा सेवा बुनियादी ढांचे/परीक्षण सुविधाओं के सृजन/वृद्धि पर केंद्रित है। बजट के एक निर्दिष्ट हिस्से का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता सृजन और संवर्धन के लिए किया जाता है।

(घ) : फ़ेम इंडिया, चरण-2 स्कीम के तहत 01.12.2023 तक 11,53,079 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को 5228 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। कुल 148 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) चालू किए गए हैं। दिनांक 28.3.2023 को भारी उद्योग मंत्रालय ने देश भर में 7432 सार्वजनिक तीव्र चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) - इंडियन ऑयल (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) के लिए फ़ेम-2 के तहत 800 करोड़ रुपये की मंजूरी देने की घोषणा की। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न शहरों/एसटीयू/राज्य सरकार की संस्थाओं को अंतःशहरी प्रचालन के लिए 6862 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, इन 6862 ई-बसों में से 3491 ई-बसों की आपूर्ति एसटीयू को की जा चुकी है।

“भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि” स्कीम, चरण-2 के तहत अब तक कुल 326.14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि का उपयोग परियोजना कार्यान्वयन संगठनों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं और ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास, साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना, मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं में वृद्धि और कौशल स्तर 6 तथा इससे ऊपर के लिए अर्हता पैक के विकास के प्रयोजन से किया जा रहा है।

अनुलग्नक

भारी उद्योग मंत्रालय - मांग संख्या 48

वर्ष 2023-24 के लिए स्कीम-वार आवंटन

(करोड़ रुपये में)

स्कीमें/मदें	बजट अनुमान 2023-24
केंद्र स्थापना व्यय	
सचिवालय- आर्थिक सेवाएं (वेतन))	39.02 (14.80)
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	
ऑटोमोबिल उद्योग का विकास	
भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम -फेम इंडिया के लिए अनुदान	5171.97
ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	604.00
'राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम' स्कीम के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन	1.00
कुल- ऑटोमोबिल उद्योग विकास	**5815.99**
पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास	
पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम	250.00
कुल- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र विकास	**250.00**
केंद्रीय क्षेत्र की कुल स्कीमें/परियोजनाएं	**6065.99**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	
स्वायत्त निकाय	
केंद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) को अनुदान	24.00
सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को सहायता	
हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को अनुदान	2.00
बीपीसीएल को अनुदान	55.32
नेपा लिमिटेड को ऋण	0.01
एसआईएल को ऋण	24.12
अन्य	0.19
कुल-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को सहायता	**81.64**
कुल-अन्य केंद्रीय क्षेत्रक व्यय	**105.64**
सकल योग	**6171.63**